

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), संगरिया
पीठासीन अधिकारी :- राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.)
प्रकरण सं. 222/2024
वाद अ. धारा 88, 53 आर.टी.ए.



भुपेन्द्र सिंह पुत्र श्री साहिबराम जाति जाट निवासी संगरिया तहसील संगरिया
जिला हनुमानगढ़ (राज.)

- वादी

1. अनिल कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश जाति जाट निवासी बोलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2. इन्दुबाला पत्नी श्री इन्द्रसैन पुत्री श्री साहिबराम जाति जाट निवासी बोलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
3. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया।

- प्रतिवादीगण

उपस्थिति :-

वादी की ओर से :- श्री कुलदीप मुण्ड, एडवोकेट
प्रतिवादी की ओर से :- श्री गगन मिढ़ा, एडवोकेट

निर्णय दिनांक:- 31.5.2024

वादी भुपेन्द्र सिंह ने प्रतिवादीगण अनिल कुमार वगैरा के विरुद्ध यह राजस्व वाद बाबत घोषणा एवं खाता विभाजन का इस न्यायालय में पेश किया कि यह कि प्रतिवादी सं. 1 वादी का चचेरा भाई एवं प्रतिवादी सं. 2 वादी की बहिन है, जो कि एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य है। तहसील संगरिया के चक 4 एम.जे.डी. के खाता सं. 59/14 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में वादी के नाम से 0.506 है। कृषि भूमि, चक 4 एम.जे.डी. के खाता सं. 3/68 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में प्रतिवादी सं. 1 के नाम से 0.961 है। कृषि भूमि तथा चक 4 एम.जे.डी. के खाता सं. 13/14 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में प्रतिवादी सं. 2 के नाम से 0.785 है। कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 के सांझा खातों की संयुक्त विरासतन कृषि भूमि है। उक्त चक के खातों की जमाबन्दीयों की पुष्पणित प्रतिलिपियां सलंगन वाद पत्र है। यह कि वाद पत्र की चरण सं. 3 में उक्त कृषि भूमि जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 की संयुक्त खाता की संयुक्त विरासतन कृषि भूमि हैं जिसमें वादी का हित एवं स्वत्व निहित है परन्तु उक्त समस्त कृषि भूमि वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में बंटवारानुसार दर्ज नहीं होने के कारण तथा प्रतिवादी सं. 1 व 2 के अन्य लोगों के प्रभाव में होने व उक्त भूमि की आय का अपने निजी व्यसनों पर खर्च करने के कारण वादी व प्रतिवादी सं. 1 व 2 के मध्य विवाद हो गया व आपस में कटुता पैदा हो गई इस पर रिश्तेदारों आदि ने जरिये पंचायत वादी व प्रतिवादी सं. 1 व 2 के मध्य राजीनामा व बंटवारा करवा दिया। मुताबिक बंटवारा तहसील संगरिया के चक 4 एम.जे.डी. के खाता सं. 59/14 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में वादी के नाम से 0.506 है। कृषि भूमि की प्रतिवादीया सं. 2 को खातेदार काश्तकार घोषित कर वादी स्वयं का नाम कलमजन करवाना चाहता है, इसी प्रकार चक 4 एम.जे.डी. के खाता सं. 3/68 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में प्रतिवादी सं. 1 के नाम से 0.961 है। कृषि भूमि में से वादी को 0.202 है। कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का हिस्सा कम करवाना चाहता है तथा इसी प्रकार चक 4 एम.जे.डी. के खाता सं. 13/14 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में प्रतिवादी सं. 2 के नाम से 0.785 है। कृषि भूमि में से वादी को 0.076 है। कृषि भूमि का एवं प्रतिवादी सं. 1 को 0.380 है। कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादीया सं. 2 का हिस्सा कम करवाना चाहता है। वादी व प्रतिवादी सं. 1 व 2 को बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि का विभाजन निम्न प्रकार से हैं :-

(क) वादी भुपेन्द्र सिंह पुत्र श्री साहिबराम जाति जाट निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमि :-
चक 4 एम.जे.डी. खाता सं. 13/14 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73
प.नं. मु.नं. कि.नं.
173/183 5 17/2/0.051 है., 14/0.025 है.
कुल 0.076 है। कृषि भूमि

लगातार --2

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

चक 4 एम.जे.डी. खाता सं. 3/68 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73
प.नं. मु.नं. कि.नं.
173/183 5 17/1/0.202 है.
कुल 0.202 है. कृषि भूमि

प्रतिवादी सं. 1 अनिल कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश जाति जाट निवासी बोलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाश की कृषि भूमि :-

चक 4 एम.जे.डी. खाता सं. 3/68 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73
प.नं. मु.नं. कि.नं.
173/184 5 6/1/0.228 है., 6/2/0.025 है.,
15/1/0.228 है., 15/2/0.025 है.,
16/1/0.228 है., 16/2/0.025 है.
कुल 0.759 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

चक 4 एम.जे.डी. खाता सं. 13/14 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73
प.नं. मु.नं. कि.नं.
173/184 5 7/2/0.152 है., 14/0.228 है.
कुल 0.380 है. कृषि भूमि

प्रतिवादी सं. 2 इन्दुबाला पत्नी श्री इन्द्रसैन पुत्री श्री साहिबराम जाति जाट निवासी बोलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाश की कृषि भूमि :-

चक 4 एम.जे.डी. खाता सं. 59/14 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73
प.नं. मु.नं. कि.नं.
173/183 4 16/3/0.038 है., 17/0.215 है., 18/0.177 है.,
19/2/0.076 है.
कुल 0.506 है. कृषि भूमि

चक 4 एम.जे.डी. खाता सं. 13/14 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73
प.नं. मु.नं. कि.नं.
173/183 4 16/2/0.025 है., 16/5/0.177 है.,
24/1/0.127 है.
कुल 0.329 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

यह कि वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि हैं जिसमें वादी का हित एवं स्वत्व निहित है। वाद पत्र की चरण सं. 4 के अनुसार वादी खातेदार काशतकार होने की घोषणा करवा उक्तानुसार ही खाता विभाजन करवा रकमराज अलग करवाने के अधिकारी एवं दावेदार है। यह कि वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि हैं जिसमें वादी का हित एवं स्वत्व निहित है। वादी ने वाद पत्र की चरण सं. 4 के अनुसार वादी खातेदार काशतकार होने की घोषणा करवा उक्तानुसार ही खाता विभाजन करवा रकमराज अलग करवाने हेतु कहा तो कुछ दिन तक तो प्रतिवादी सं. 1 ता 6 टाल मटोल करते रहे, आखिर गत् सप्ताह ऐसा करने से कतई इन्कार हो गये। बस यही वाद कारण है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वाद पत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 व 2 के द्वारा सहमति का जवाब दावा पेश किया गया जो कि बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी सं. 3 का जवाब स्टेट पेश हुआ जो शामिल मिसल किया गया।

वाद पत्र के समर्थन में वादी के द्वारा तहसील संगरिया के चक 4 एम.जे.डी. के खाता सं. 59/14 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73, चक 4 एम.जे.डी. के खाता सं. 3/68 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73, चक 4 एम.जे.डी. के खाता सं. 13/14 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 की जमाबन्दीयों की प्रतियां पेश की गई जो प्रदर्श-1 ता 3 है। साक्ष्य वादी में वादी का शपथ पत्र अ. धारा 18 नियम 4 व्य.प्र.सं. पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य प्रतिवादीगण बन्द की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस में वादी के अभिभाषक ने कथन किया कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 संयुक्त खाता के काशतकार है तथा आपस में कोई विरोध नहीं है। वाद पत्र में घोषणा एवं खाता विभाजन का लगातार --3

सहायक जलैक्टर एवं
संगरिया अधिकासी
संगरिया

अनुतोष चाहा गया है। बहस में वकील वादी एवं वकील प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने सहमति के जवाब दावा अनुसार वाद पत्र डिक्री किये जाने पर सहमति दी। वकील वादी ने वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया। जिसका वकील प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया।

वाद पत्र में वर्णित आराजी तहसील संगरिया के चक 4 एम.जे.डी. के खाता सं. 59/14 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में वादी के नाम से 0.506 है। कृषि भूमि, चक 4 एम.जे.डी. के खाता सं. 3/68 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में प्रतिवादी सं. 1 के नाम से 0.961 है। कृषि भूमि तथा चक 4 एम.जे.डी. के खाता सं. 13/14 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में प्रतिवादी सं. 2 के नाम से 0.785 है। कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 द्वारा सहमति के जवाब दावा प्रस्तुत होने के कारण तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि संयुक्त परिवार की संयुक्त कृषि भूमि है। वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 8 एक ही परिवार के सदस्य है। वाद पत्र का कोई विरोध हमारे समक्ष नहीं आया है। वाद पत्र मुताबिक जवाब दावा डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। राजीनामा निर्णय का जुज रहेगा।

---: क्रियात्मक आदेश :-

अतः वाद वादी मुताबिक अनुतोष अनुसार डिक्री किया जाता है कि:-

(क) वादी भुपेन्द्र सिंह पुत्र श्री साहिबराम जाति जाट निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि :-
चक 4 एम.जे.डी. खाता सं. 13/14 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73
प.नं. मु.नं. कि.नं.

173/183 5 17/2/0.051 है., 14/0.025 है.

कुल 0.076 है. कृषि भूमि

चक 4 एम.जे.डी. खाता सं. 3/68 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73

प.नं. मु.नं. कि.नं.

173/183 5 17/1/0.202 है.

कुल 0.202 है. कृषि भूमि

प्रतिवादी सं. 1 अनिल कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश जाति जाट निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि :-

चक 4 एम.जे.डी. खाता सं. 3/68 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73

प.नं. मु.नं. कि.नं.

173/184 5 6/1/0.228 है., 6/2/0.025 है.,
15/1/0.228 है., 15/2/0.025 है.,
16/1/0.228 है., 16/2/0.025 है.

कुल 0.759 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

चक 4 एम.जे.डी. खाता सं. 13/14 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73

प.नं. मु.नं. कि.नं.

173/184 5 7/2/0.152 है., 14/0.228 है.
कुल 0.380 है. कृषि भूमि

(ग) प्रतिवादीया सं. 2 इन्दुबाला पत्नी श्री इन्द्रसेन पुत्री श्री साहिबराम जाति जाट निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि :-

चक 4 एम.जे.डी. खाता सं. 59/14 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73

प.नं. मु.नं. कि.नं.

173/183 4 16/3/0.038 है., 17/0.215 है., 18/0.177 है.,
19/2/0.076 है.

कुल 0.506 है. कृषि भूमि

चक 4 एम.जे.डी. खाता सं. 13/14 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73

प.नं. मु.नं. कि.नं.

173/183 4 16/2/0.025 है., 16/5/0.177 है.,
24/1/0.127 है.

कुल 0.329 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

मुताबिक बंटवारा तहसील संगरिया के चक 4 एम.जे.डी. के खाता सं. 59/14 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में वादी के नाम से 0.506 है. कृषि

लगातार --4

भूमि की प्रतिवादीया सं. 2 को खातेदार काशतकार घोषित कर वादी स्वयं का नाम कलमजन किया जावे, इसी प्रकार चक 4 एम.जे.डी. के खाता सं. 3/68 जमाबन्दी सम्यत् 2070-73 में प्रतिवादी सं. 1 के नाम से 0.961 है. कृषि भूमि में से वादी को 0.202 है. कृषि भूमि का खातेदार काशतकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का हिस्सा कम किया जावे तथा इसी प्रकार चक 4 एम.जे.डी. के खाता सं. 13/14 जमाबन्दी सम्यत् 2070-73 में प्रतिवादी सं. 2 के नाम से 0.785 है. कृषि भूमि में से वादी को 0.076 है. कृषि भूमि का एवं प्रतिवादी सं. 1 को 0.380 है. कृषि भूमि का खातेदार काशतकार घोषित कर प्रतिवादीया सं. 2 का हिस्सा कम किया जावे व उपरोक्तानुसार खाता अलग से कायम किया जावे।



यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादीगण हक आराजी बैंक रहन नही है तो अमल मुताबिक डिक्री किया जावे।

इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावें। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पर अदागान अपना-अपना वहन करेंगे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील नम्बर से कृषि किया दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 31.5.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(राकेश कुमार मीना)

सहायक कलेक्टर एवं
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व),
संगरिया
संगरिया

डिक्री एवं मुकदमें इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया
पीठासीन अधिकारी:- राकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.)
प्रकरण सं. 222/2024

भुपेन्द्र सिंह पुत्र श्री साहिबराम जाति जाट निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ़(राज.) - वादी

बनाम

अनिल कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश जाति जाट निवासी बोलावाली तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ़(राज.)
इन्दुबाला पत्नी श्री इन्द्रसैन पुत्री श्री साहिबराम जाति जाट निवासी बोलावाली तहसील
संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
3. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया। - प्रतिवादीगण

वाद पत्र अ. धारा 88, 53 आर.टी.ए.

दिनांक :- 31.5.2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ राकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.) के समक्ष
वास्ते इनफिसाल कर्तई रोबरु हमारे बहाजरी श्री कुलदीप मुण्ड वकील वादी मिन जामिन
मुदई श्री गगन मिद्धा वकील प्रतिवादी सं. 1 व 2 मिन जानिब मुदायला पेश होकर
हुकम दिया जाता है व यह डिक्री दी जाती है कि:-
वादी भुपेन्द्र सिंह पुत्र श्री साहिबराम जाति जाट निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि :-

चक 4 एम.जे.डी. खाता सं. 13/14 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73

मु.नं. कि.नं.

83 5 17/2/0.051 है., 14/0.025 है.

कुल 0.076 है. कृषि भूमि

चक 4 एम.जे.डी. खाता सं. 3/68 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73

मु.नं. कि.नं.

83/183 5 17/1/0.202 है.

कुल 0.202 है. कृषि भूमि

प्रतिवादी सं. 1 अनिल कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश जाति जाट निवासी बोलावाली तहसील
संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि :-

चक 4 एम.जे.डी. खाता सं. 3/68 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73

प.नं. मु.नं. कि.नं.

173/184 5 6/1/0.228 है., 6/2/0.025 है.,

15/1/0.228 है., 15/2/0.025 है.,

16/1/0.228 है., 16/2/0.025 है.

कुल 0.759 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

चक 4 एम.जे.डी. खाता सं. 13/14 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73

प.नं. मु.नं. कि.नं.

173/184 5 7/2/0.152 है., 14/0.228 है.

कुल 0.380 है. कृषि भूमि

प्रतिवादीया सं. 2 इन्दुबाला पत्नी श्री इन्द्रसैन पुत्री श्री साहिबराम जाति जाट निवासी
बोलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की
कृषि भूमि :-

चक 4 एम.जे.डी. खाता सं. 59/14 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73

प.नं. मु.नं. कि.नं.

173/183 4 16/3/0.038 है., 17/0.215 है., 18/0.177 है.,

19/2/0.076 है.

कुल 0.506 है. कृषि भूमि

चक 4 एम.जे.डी. खाता सं. 13/14 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73

प.नं. मु.नं. कि.नं.

173/183 4 16/2/0.025 है., 16/5/0.177 है.,

24/1/0.127 है.


कुल 0.329 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

लगातार --2

मुताबिक बंटवारा तहसील संगरिया के चक 4 एम.जे.डी. के खाता सं. 59/14 जमाबन्दी सम्बत् 2070-73 में वादी के नाम से 0.506 है. कृषि भूमि की प्रतिवादीया सं. 2 को खातेदार काश्तकार घोषित कर वादी स्वयं का नाम कलमजान किया जावे, इसी प्रकार चक 4 एम.जे.डी. के खाता सं. 3/68 जमाबन्दी सम्बत् 2070-73 में प्रतिवादी सं. 1 के नाम से 0.961 है. कृषि भूमि में से वादी को 0.202 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का हिस्सा कम किया जावे तथा इसी प्रकार चक 4 एम.जे.डी. के खाता सं. 13/14 जमाबन्दी सम्बत् 2070-73 में प्रतिवादी सं. 2 के नाम से 0.785 है. कृषि भूमि में से वादी को 0.076 है. कृषि भूमि का एवं प्रतिवादी सं. 1 को 0.380 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादीया सं. 2 का हिस्सा कम किया जावे व उपरोक्तानुसार खाता अलग से कायम किया जावे।

नोट :- यदि डिक्लीत वादी/प्रतिवादी हक आराजी बैंक रहन नही है तो अमल दरामद मुताबिक डिक्ली किया जावे।



..... निल मुब्लिक निल बाबत्
..... खर्चा मुकदमें के मयथुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख
..... को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मोहर अदालत से आज दिनांक 31.5.2024 को जारी किया जाता है।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी (संज्व),
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

